

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 9

नागर विमानन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)													
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	137.02	682.46	819.48	344.18	738.80	1082.98	170.86	1008.72	1179.58	170.20	682.18	852.38	
पूँजी	1220.41	...	1220.41	4155.82	...	4155.82	6029.14	...	6029.14	5029.80	...	5029.80	
जोड़	1357.43	682.46	2039.89	4500.00	738.80	5238.80	6200.00	1008.72	7208.72	5200.00	682.18	5882.18	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	4.25	14.79	19.04	17.00	16.75	33.75	7.00	17.52	24.52	105.00	18.80	123.80
नागर विमानन													
2. नागर विमानन महानिदेशक	3053	6.22	41.92	48.14	12.50	47.00	59.50	7.00	48.18	55.18	10.00	50.71	60.71
	5053	12.13	...	12.13	47.50	...	47.50	6.00	...	6.00	20.00	...	20.00
जोड़		18.35	41.92	60.27	60.00	47.00	107.00	13.00	48.18	61.18	30.00	50.71	80.71
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	2.14	7.25	9.39	25.30	8.48	33.78	9.00	8.37	17.37	5.20	10.45	15.65
	5053	6.38	...	6.38	69.70	...	69.70	...	...	...	4.80	...	4.80
जोड़		8.52	7.25	15.77	95.00	8.48	103.48	9.00	8.37	17.37	10.00	10.45	20.45
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के उसके हिस्से का भुगतान	3053	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
5. हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	606.02	606.02	...	655.00	655.00	...	923.00	923.00	...	589.50	589.50
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	1200.95	...	1200.95	4030.50	...	4030.50	6015.26	...	6015.26	5005.00	...	5005.00
	7053	0.95	...	0.95	0.50	...	0.50	0.26	...	0.26	...	...	...
जोड़		1201.90	...	1201.90	4031.00	...	4031.00	6015.52	...	6015.52	5005.00	...	5005.00
7. अन्य व्यय	3053	124.41	6.00	130.41	216.48	4.50	220.98	135.57	4.51	140.08	50.00	4.71	54.71
	3601	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़		124.41	6.00	130.41	216.48	4.51	220.99	135.57	4.51	140.08	50.00	4.71	54.71
जोड़-नागर विमानन		1353.18	661.19	2014.37	4402.48	715.00	5117.48	6173.09	984.07	7157.16	5095.00	655.38	5750.38
अन्य परिवहन सेवाएं													
8. रेलवे सुरक्षा आयुक्त घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3075	...	6.48	6.48	...	7.09	7.09	...	7.17	7.17	...	8.04	8.04
	3075	...	...	...	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
कुल		...	6.48	6.48	...	7.05	7.05	...	7.13	7.13	...	8.00	8.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए													

		वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
		मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान														
9.01	पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	...	...	...	7.62	...	7.62	7.62	...	7.62	...	...	...
9.02	एएआई को अनुदान	3053	...	...	...	72.90	...	72.90	12.29	...	12.29	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए			...	...	...	80.52	...	80.52	19.91	...	19.91	...	...	...
परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान														
कुल जोड़			1357.43	682.46	2039.89	4500.00	738.80	5238.80	6200.00	1008.72	7208.72	5200.00	682.18	5882.18
		विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
6.01	भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लि.	13053	1200.00	309.68	1509.68	4000.00	928.00	4928.00	6000.00	1145.87	7145.87	5000.00	1318.60	6318.60
6.02	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	1.89	1974.01	1975.90	8.62	1707.00	1715.62	8.14	1815.00	1823.14	...	2260.00	2260.00
6.03	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	...	222.44	222.44	5.00	153.37	158.37	5.00	122.35	127.35	...	86.80	86.80
6.04	भारतीय होटल निगम लि.	13053	...	0.40	0.40	25.00	...	25.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
6.05	एअर इंडिया चार्टर्स लि.	13053	...	2.12	2.12	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	...	...
जोड़			1201.89	2508.65	3710.54	4038.62	2793.37	6831.99	6023.14	3088.22	9111.36	5005.00	3665.40	8670.40
ग. योजना परिव्यय														
1.	नागर विमानन	13053	1357.43	2508.65	3866.08	4419.48	2793.37	7212.85	6180.09	3088.22	9268.31	5200.00	3665.40	8865.40
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	80.52	...	80.52	19.91	...	19.91	...	...	...
जोड़			1357.43	2508.65	3866.08	4500.00	2793.37	7293.37	6200.00	3088.22	9288.22	5200.00	3665.40	8865.40

1. **सचिवालय आर्थिक सेवा - नागर विमानन:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है। गैर-योजना सचिवालयी व्यय में विमापत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण (ऐराट) मंत्रालय हेतु आयोजना भिन्न बजटीय आवंटन वेतन व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए है। यह आयोजना आवंटन निम्नलिखित के लिए व्यय की पूर्ति करेगा (i) अन्तरराष्ट्रीय परिचालन तथा विमानन अध्ययन हेतु भारतीय कैरियर की प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाना, (ii) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा मीडिया अभियान, (iii) नागर विमानन के क्षेत्र में प्रबन्धन तथा नियंत्रण बढ़ाने हेतु आईटीटूल्स तथा क्षमता निर्माण-उपायों का प्रयोग, (iv) विमानन क्षेत्र से सम्बद्ध सम्मेलन और संगोष्ठियां, (v) शासन में नए प्रयोग, (vi) दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों के लिए अनिवार्य हवाई सेवाएं, (vii) राष्ट्रीय विमानन सेवाएं, (viii) एरोस्पेस उद्योग का विकास, और (ix) नागर विमानन संग्रहालय की स्थापना। (x) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो।

2. **नागर विमानन महानिदेशालय का कार्यालय:** इस शीर्ष के अंतर्गत गैर योजनागत प्रावधान नागर विमानन महानिदेशालय और उसके क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए है। योजनागत प्रावधान में विकास परियोजनाएं तथा परामर्श, क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय परियोजना कार्मिक, प्रशिक्षण परियोजनाएं, सूचना प्रौद्योगिकी पर परियोजनाएं तथा नागर विमानन महानिदेशालय भवन के निर्माण का कार्य शामिल है। इसमें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के प्रति भारत के योगदान के लिए प्रावधान भी शामिल है। नागर विमानन महानिदेशालय की संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना

3. **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो:** इस कार्यालय के लिए गैर योजना बजटीय प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है। इस कार्यालय के लिए योजना प्रावधान सुरक्षा उपस्करों की खरीद, आईटी उपस्करों और इनके सहायक पुर्जों, बीसीएस के कार्यालय की पुर्नसंरचना बीसीएस मुख्यालय भवन का निर्माण

संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना, इकाओं के सहकारी विमानन सुरक्षा कार्यक्रम और विमानन सुरक्षा से संबंधित बैठकों और शिखर सम्मेलनों में भारत के योगदान के लिए भी ओर प्रावधान किया गया है।

5. **हज चार्टर्स के प्रचालन के लिए राज सहायता:** इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान एयरलाइनों को सबसिडी के भुगतान के लिए का गैर योजनागत बजटीय प्रावधान किया गया है।

6. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** एअर इंडिया लिमिटेड में और भारतीय होटल निगम के लिए इक्विटी निवेश के लिए प्रावधान किया गया है।

7. **अन्य व्यय:** इस शीर्ष के अधीन पेक्याँग, सिक्किम (पूर्वोत्तर क्षेत्र) परियोजना और तिरुपति परियोजना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए और एयरो क्लब ऑफ इंडिया तथा विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को अनुदान सहायता के भुगतान के लिए प्रावधान रखा गया है।

8. **रेल संरक्षा आयोग:** इस शीर्ष के अंतर्गत गैर योजनागत प्रावधान रेल संरक्षा आयोग के स्थापना व्ययों के लिए किया गया है जो रेल यात्रा और प्रचालन की सुरक्षा से संबंधित है और भारतीय रेल अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों में विनिर्दिष्ट कतिपय सांविधिक कार्यों के निष्पादन से संबंधित है।